उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-24/2023-24

मु0 शेख इस्लाम

बनाम्

मु0 अनवारूल वगै0

-: आदेश :-

दिनांक 5/9/23

प्रविष्टि बिन्दु पर रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। रिविजनकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0-41/21-22 के आदेश दिनांक-12.05.2023 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-घाट गम्हरिया, जमाबंदी नं0-44, दाग नं0-211 रकवा 00-00-11 धुर जमीन रिविजनकर्त्ता के मकान के नजदीक है एवं रिविजनकर्त्ता के द्वारा उक्त जमीन का उपयोग किया जाता है। उक्त जमीन पर उत्तरवादी ने अवैध ढंग से शौचालय का निर्माण किया है। उसके लिए रिविजनकर्त्ता की ओर से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने मामले को इस निर्देश के साथ निष्पादित किया कि विवाद का निपटारा सक्षम न्यायालय में किया जा सकता है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने रिविजन आवेदन को प्रविष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का निष्कर्ष है कि उभय पक्ष में विवाद जमाबंदी रैयत के कानूनी उत्तराधिकारी के बीच जमीन बँटवारा से संबंधित है। इस प्रकार वर्तमान रिविजन आवेदन प्रविष्ट करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:22:17 +05:30
Location: 192.168.1.54